न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 33/2016 श्री हडीया बनाम लालसन

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ दिनांक 08–07–2016 प्रकरण संख्या 58/2012 वाद ————————	
24–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में समायत शुदा बहस पत्रावली का अवलोकन कर अपील मेमों को देखकर हमारे द्वारा यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली कायम मुकाम के आवेदन पर लम्बित होकर पेशी दिनांक 20–4–2016 नियत थी। इस नियत तिथि के स्थान पर अचानक से पत्रावली को लोक अदालत में दिनांक 8–7–2016 को रखकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पांच पंक्तियों में बिना साक्ष्य सबूत लिए, तनकीयात कायम किये वादी का वाद प्रतिवादी की बिना सहमति तथा उनके द्वारा साक्ष्य सबूत पेश किये जाने के अवसर दिये, स्वेच्छाचारी रूप से प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 8–7–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनकर उभयपक्ष की प्लीडिंग्स के आधार पर तनकीयात कायम कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	